रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032026-271119
CG-DL-E-21032026-271119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1369] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947
No. 1369] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2026

का.आ. 1434(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3689 (अ), दिनांकित 09.12.2016 के द्वारा नया राष्ट्रीय राजमार्ग-731ए उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित खंड को उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द कर दिया है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग-731ए के डिजाइन किमी 0.000 से किमी 35.000 तक के मोहनगंज से औतारपुर खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के खंड के 35.00 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65

हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संग्रहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजाओं में देय और संदेय होगी:-

तालिका – 2		
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नौबस्ता और रेडी गांव के बीच एनएच 731ए का 10.715 किमी	35.00 किमी	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजासे बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-3		
संदेय राशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**मान्यता अवधि**
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या उससे अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 264.86 करोड़ रू. है। [भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है।] प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. सीई-आरओ/एलकेओ/731ए-यूपी-2020-21-590 (टोल नोटिफिकेशन) ई- 259896]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2026

S.O. 1434(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.3689 (E) dated the 09.12.2016 issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch of the new National Highway No. 731A situated within the State of Uttar Pradesh to the State Government of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee for net road section length of 35.00 km at sixty percent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for the use of 2 lane with paved shoulder section on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Mohanganj to Autarpur section from design kilometer 0.000 to kilometer 35.000 of National Highway number 731A in the State of Uttar Pradesh and authorises the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table – 1

Types of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles’ (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table -2		
Location of Toll Plaza (Chainage)	**Length (in km) for which fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Km 10.715 of NH 731A, between Naubasta and Redi village in Pratapgarh district of Uttar Pradesh	35.00 km	60% for 2 lane with paved shoulder of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 340 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-3		
Amount Payable	**Maximum number of one way journeys allowed**	**Period of validity**
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fees payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicles (excluding vehicles plying under National permits) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rates for that category of vehicle provided no service road or alternate road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highways to toll collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical section.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discount will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed portion of the length of the project highway and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimate capital cost of the project is Rs. 264.86 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. is yet to be completed]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized.

[F. No. CE-RO/LKO/731A-UP-2020-21-590 (Toll Notification) E- 259896]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.21 10:08:40 +05'30'